न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)

निर्णय द्वारा पीठासीन अधिकारी :— अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या— 15 / 2017

दायर दिनांक— 30.05.2017
फैसल दिनांक— 03.01.2020

श्री प्रकाश पिता थावराजी जाति मीणा आयु 43 वर्ष निवासी कलालीया तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर

— वादी—

बनाम

1. श्रीमती नाथी पत्नी गणेशलालजी मीणा आयु 38 वर्ष निवासी बंजारिया तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)

—प्रतिवादी—

उपस्थिति वादी अधिवक्ता :—
श्री विवेक कंसारा

वाद बाबत् घोषण पांति बंटवारा एवं निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा बंजारिया पटवार मंडल बंजारिया तहसील खेरवाडा में स्थित है जिस पर सभी खातेदारों का संयुक्त रूप से कब्जा स्थित है। जिसका आराजी नम्बर 1584 रकबा 0.08 हैक्टर लगानी 0.02 रूपया है। उक्त वर्णित आराजीयात में वादी 3/4 वॉ हिस्सा निहित है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 वॉ हिस्सा हो बहेसियत खातेदार के रूप में भू–अभिलेख में दर्ज है। सम्पूर्ण कृषि आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी संयुक्त खातेदारी एवं हिस्से के अनुरूप दर्ज भू–अभिलेख होकर मौके पर विधिवत माप एवं सीमाओं के आधार पर बंटवारा नही हुआ है एवं मौखिक रूप से अन्दाजन उपयोग व उपभोग कर कृषि उपज पैदावार लेते आ रहे है। उक्त वर्णित आराजीयात जिसके प्रत्येक अंश पर वादी का हिस्सेनुसार हिस्सा हो वे उसका उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा उक्त वर्णित आराजीयात जो आबादी क्षेत्र के पास में आ जाने से उसकी बाजार दर बढ गई है। जिस कारण प्रतिवादी संख्या 01 के मन में खोट उत्पन्न हो गई है तथा वे अपने अंश से अधिक [illegible] व वादी को अपने अधिकारों से वंचित कर देने पर आमादा है तथा वे उनके

श्री [illegible] पिता [illegible] जाति मीणा आयु 43 वर्ष निवासी कलालीया तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर

— वादी—

बनाम

1. श्रीमती नाथी पत्नी गणेशलालजी मीणा आयु 38 वर्ष निवासी बंजारिया तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)

—प्रतिवादी—

उपस्थिति वादी अधिवक्ता :—
श्री विवेक कंसारा

वाद बाबत् घोषण पांति बंटवारा एवं निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा बंजारिया पटवार मंडल बंजारिया तहसील खेरवाडा में स्थित है जिस पर सभी खातेदारों का संयुक्त रूप से कब्जा स्थित है। जिसका आराजी नम्बर 1584 रकबा 0.08 हैक्टर लगानी 0.02 रूपया है। उक्त वर्णित आराजीयात में वादी 3/4 वॉ हिस्सा निहित है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 वॉ हिस्सा हो बहेसियत खातेदार के रूप में भू–अभिलेख में दर्ज है। सम्पूर्ण कृषि आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी संयुक्त खातेदारी एवं हिस्से के अनुरूप दर्ज भू–अभिलेख होकर मौके पर विधिवत माप एवं सीमाओं के आधार पर बंटवारा नही हुआ है एवं मौखिक रूप से अन्दाजन उपयोग व उपभोग कर कृषि उपज पैदावार लेते आ रहे है। उक्त वर्णित आराजीयात जिसके प्रत्येक अंश पर वादी का हिस्सेनुसार हिस्सा हो वे उसका उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा उक्त वर्णित आराजीयात जो आबादी क्षेत्र के पास में आ जाने से उसकी बाजार दर बढ गई है। जिस कारण प्रतिवादी संख्या 01 के मन मे खोट उत्पन्न हो गई है तथा वे अपने अंश से अधिक भूमि हडपने व वादी को अपने अधिकारों से वंचित कर देने पर आमादा है तथा वे उनके उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे है। ऐसे में संयुक्त स्वामित्व, आधिपत्य जारी रखना असम्भव हो जाने से वादीगण के लिये भूमि का माप व सीमाओं से बंटवारा करा हिस्सा विशिष्ठ चिन्हित करा स्वतंत्र कब्जा प्राप्त करना एवं तदनुसार रेकार्ड में इन्द्राज कराना आवश्यक है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

प्रतिवादी के मन में बदनियती उत्पन्न हो गयी है तथा उपरोक्त वर्णित भूमि में से मौके की किमती भूमि पर अकेले काबिज हो उसे अन्य को विक्रय कर खुर्दबूर्द कर वादी को बेदखल कर देना चाहते है जिसका की उन्हे कोई अधिकार नही है ऐसे में प्रतिवादी के विरूद्व इस आशय की निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक है कि वे उपरोक्त वर्णित भूमि के सभी सहखातेदारों के मध्य उनके हिस्सेनुसार विधिवत पांति बंटवारा माप व सीमाओं से नही हो जाता जब तक उपरोक्त वर्णित भूमि में किसी अन्य के हित सृजित नही करेगे न किसी को विक्रय करे न ही वादी को बेदखल करने का प्रयास करे न ही कोई निर्माण कार्य करें। वादी एवं प्रतिवादी के मध्य संयुक्त खाते की कृषि भूमि का कानूनन मिट्स एण्ड बाउण्डस में बंटवारा नही हुआ है तथा प्रतिवादी जबरन मौके की किमती भूमि पर अकेले ही अपने हिस्से से ज्यादा भूमि पर कब्जा कर अपने हिस्से में आई बता कर विक्रय कर वादी को उनके हक एवं हिस्से की भूमि में मेहरूम कर बेदखल कर देना चाहते है। इसलिए उक्त वर्णित समस्त भूमि का कानूनन वादी एवं प्रतिवादी के मध्य उनके हिस्सेनुसार मिट्स एण्ड आउण्डस में बंटवारा कराया जा कर उसके आये हिस्से अनुसार पृथक–पृथक खाता दर्ज कर पृथक खातेदार घोषित किया जाना व राजस्व रेकार्ड में इस आशय का अमल दरामद कराया जाना नितान्त आवश्यक है। इसके लिए पक्षकारों के बीच में कानूनी बंटवाडा नितान्त आवश्यक है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी को सम्मन तामिल होने के बावजूद भी अनुपस्थित होने से प्रतिवादीं के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी द्वारा वादीगण की साक्ष्य का शपथ पत्र [illegible] पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली का विवेचन किया गया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य दस्तावेजों का विवेचन किया गया तथा वादी वकील की बहस सुनकर मनन किया गया।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है कि मौजा बंजारिया पटवार मंडल बंजारिया तहसील खेरवाडा में स्थित है जिस पर सभी खातेदारों का संयुक्त रूप से कब्जा स्थित है। जिसका आराजी नम्बर 1584 रकबा 0.08 हैक्टर लगानी 0.02 रूपया है। उक्त वर्णित आराजीयात में वादी का 3/4 वॉ हिस्सा एवं प्रतिवादी का 1/4 वॉ हिस्सा बनता है जिसे मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हूए मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर पांति बंटवाडा प्रस्तावित किया जावे। बंटवाडा हेतु तहसीलदार को कोर्ट कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि दोनो पक्षकरान की उपस्थिति में बंटवाड़ा प्रस्तावित किया जावे। पक्षकरान के आने जाने हेतु रास्ता भी प्रस्तावित बंटवाडा सूची, लगान सूची, नक्शा ट्रेस दो–दो प्रतियों में पेश किये जावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों की पूर्ण रूपेण पालन किया जावें।

[illegible] हिस्सेनुसार विधिवत बंटवारा नाप व सीमाओं से नहीं हो जाता तब तक उपरोक्त वर्णित भूमि में किसी अन्य के हित सृजित नही करेंगे न किसी को विक्रय करें न ही वादी को बेदखल करने का प्रयास करे न ही कोई निर्माण कार्य करें। वादी एवं प्रतिवादी के मध्य संयुक्त खाते की कृषि भूमि का कानूनन मिट्स एण्ड बाउण्डस में बंटवारा नही हुआ है तथा प्रतिवादी जबरन मौके की किमती भूमि पर अकेले ही अपने हिस्से से ज्यादा भूमि पर कब्जा कर अपने हिस्से में आई बता कर विक्रय कर वादी को उनके हक एवं हिस्से की भूमि से महरूम कर बेदखल कर देना चाहते है। इसलिए उक्त वर्णित समस्त भूमि का कानूनन वादी एवं प्रतिवादी के मध्य उनके हिस्सेनुसार मिट्स एण्ड आउण्डस में बंटवारा कराया जा कर उसके आये हिस्से अनुसार पृथक–पृथक खाता दर्ज कर पृथक खातेदार घोषित किया जाना व राजस्व रेकार्ड में इस आशय का अमल दरामद कराया जाना नितान्त आवश्यक है। इसके लिए पक्षकारों के बीच में कानूनी बंटवाडा नितान्त आवश्यक है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी को सम्मन तामिल होने के बावजूद भी अनुपस्थित होने से प्रतिवादीं के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी द्वारा वादीगण की साक्ष्य का शपथ पत्र PW1 पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली का विवेचन किया गया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य दस्तावेजों का विवेचन किया गया तथा वादी वकील की बहस सुनकर मनन किया गया।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है कि मौजा बंजारिया पटवार मंडल बंजारिया तहसील खेरवाडा में स्थित है जिस पर सभी खातेदारों का संयुक्त रूप से कब्जा स्थित है। जिसका आराजी नम्बर 1584 रकबा 0.08 हैक्टर लगानी 0.02 रूपया है। उक्त वर्णित आराजीयात में वादी का 3/4 वॉ हिस्सा एवं प्रतिवादी का 1/4 वॉ हिस्सा बनता है जिसे मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हूए मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर पांति बटंवाडा प्रस्तावित किया जावे। बंटवाड़ा हेतु तहसीलदार को कोर्ट कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि दोनो पक्षकरान की उपस्थिति में बंटवाड़ा प्रस्तावित किया जावे। पक्षकारान के आने जाने हेतु रास्ता भी प्रस्तावित बंटवाड़ा सूची, लगान सूची, नक्शा ट्रेस दो–दो प्रतियों में पेश किये जावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों को पूर्ण रूपेण पालन किया जावें।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

[illegible] कमीश्नर वादी मौके पर अदा करें। प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण के भौतिक रूप से कब्जे अनुसार बटंवाडे में आई भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे। प्रारंभिक डिक्री पर्चा अलग से जारी होकर पालना हेतु तहसीलदार खेरवाडा को भेजा जावे। भौतिक रूप से विभाजन हेतु तहसीलदार खेरवाड़ा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कोर्ट कमिश्नर की शुल्क राशि 1000/-रू. वादी पक्ष वहन करेगा। प्रारम्भिक डिक्री अनुसार पालना रिपोर्ट दो प्रतियों में प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)